ालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर0ए0एस0)

ण संख्या : 6/2024
र दिनांक : 20/02/2022
र्णय दिनांक : 11/07/2024

उनवान

1. मोहनलाल पुत्र शम्भू जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर **प्रार्थीगण**

बनाम

1.जीतू पिता देवा रावत निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर
2. दल्ला पिता देवा रावत निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर
3. रतनदास पिता हीरादास वैष्णव निवासी बडवाई तहसील भूपालसागर
4. प्यारा पिता नगा भील निवासी कंवरपुरा मंगरी तहसील भूपालसागर
5. लक्ष्मणसिंह पिता उदयसिंह राजपूत निवासी अमरपुरा तहसील भूपालसागर
6. जगदीश, मुकेश पिता लेहरू जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर
7. हीरालाल पिता रामा जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में **प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण** बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा **ग्राम बडवाई प.ह. मुरला की खाता सं. 227 के आ.सं. 732 रकबा 0.04 है., आ.सं. 735 रकबा 0.69 है. तथा ग्राम अमरपुरा के खाता अमरपुरा प.ह. मुरला के खाता सं. 29 की आ.सं. 188/23 रकबा 0.05 है., आ.सं. 21 रकबा 0.53 है., आ.सं. 26 रकबा 0.04 है.** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी [illegible] हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर [illegible]।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.26 09:17:41 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] कुमार गेलडा)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर